उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष
प्रकरण संख्या 1 / 2020
धारा 136

संक्षिप्त तथ्य: पटवारी प्रशासन गांवों के संग अभियान अन्तर्गत जिनारपुरा के चौका हेतु।

पटवारी का अवलोकन किया तथा प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से लिखाया गया कि प्रार्थी के पिता का नाम भूमि आवंटन के पट्टे में 12 बीघा 42 बिस्वा 03 बिस्वांसी व 18 बीघा 19.05 बीघा कुल 19 बीघा 61.14 बिस्वा के पिता का नाम तेजाराम दर्ज हो गया वह वास्तव में प्रार्थी के पिता का नाम है। इसके अलावा भूमि आवंटन के कागज में प्रार्थी के पिता का नाम मांगीलाल बताया गया। पटवारी के पटवारी के रिपोर्ट की भी मूल आवंटन के अनुसार 12.10.19 को तेजाराम के स्थान पर मांगीलाल भूल से लिखा गया का निवेदन किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधिनियम धारा 136 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार लूणी को आदेश दिया जाता है कि मूल आवंटन के अनुसार नम्बर 12.10.19 के प्रार्थी के पिता का नाम तेजाराम दर्ज मांगीलाल लिखित रूप से गलत दर्ज किया गया है। पटवारी जैसा सुधार होकर रिकार्ड दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर लूणी
प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021
कैम्प कोर्ट